



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

10-2645-1115

- 1- पूरनसिंह वल्द खिलान सिंह दांगी
- 2- हेमराज सिंह वल्द पूरन सिंह दांगी
- 3- कल्याण सिंह वल्द पूरन सिंह दांगी
- 4- राजेन्द्र सिंह वल्द पूरन सिंह दांगी
- 5- अर्जुन सिंह वल्द पूरन सिंह दांगी

सभी निवासी ग्राम औरिया तह0जिला सागर

पुनरीक्षणकर्तागण

विरुद्ध

- 1- बैजन्ती बाई पुत्री सूरत सिंह पत्नि मलखान सिंह
 - 2- सावित्री बाई पुत्री सूरत सिंह पत्नि हरपाल सिंह
- दोनों निवासी ग्राम विछुवा तह0 जिला सागर

प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्तागण पुनरीक्षण प्रस्तुत कर प्रार्थना करते हैं :-

- पुनरीक्षणकर्तागण यह पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय सागर के राजस्व प्रकरण कं0 138अ/27/011-012 में पारित आदेश दिनांक 20-7-2015 से परिवेदित होकर सम्मानीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

- 1- यह कि सम्मानीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि तथा

- 2 -

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-2645-दो/2015

जिला-सागर

पूरन सिंह दांगी आदि विरुद्ध बैजन्ती व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
<p>19-02-2019 20-02-2019</p>	<p>आवेदक की ओर से श्री ओ.पी. शर्मा अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सागर, जिला-सागर के प्रकरण क्रमांक 138/अ-27/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 20-07-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 18-4-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर.के. जैन) 20/2/19 सदस्य</p>